१००/१ + ५०/१ + ४०/१ = १९०.

विक्रेता — श्रीमती सरस्वती बाई पति सन्तोष गायके
म.नं. १७ सिरपुर इन्दौर

क्रेता — शक्ति राठौर पति अमर सिंह राठौर
नंदा नगर इन्दौर

मुद्रांक शुल्क रुपये	158-00	श्री
पंचायत अधिनियम	23-00	
अन्य कर	8-00	
अधिक स्टांप	1-00	
	190-00	

बाजार मूल्य रुपये 2250-00

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण क्र. 46:प:90:ती:10:85-86 में प्राप्त प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत है ।

भूखण्ड का विक्रय पत्र मूल्य रुपये 2250-00

(1) श्री सन्तोष आत्मज श्री तुकाराम गायके
(2) श्रीमति सरस्वतीबाई पति सन्तोष गायके
की ओर से आम मुख्त्यार श्री सन्तोष गायके
निवासी 17, ग्राम सिरपुर इन्दौर -- - - - - - विक्रेतागण

श्रीमति शक्ति राठौर पति श्री अमर सिंह राठौर
निवासी 80, सुभाष नगर, नंदानगर, इन्दौर - - - - क्रेता

रुपये 2250-00 बाविस सौ पचास मात्र नगदी प्राप्त कर लिये है, अब प्रतिफल का लेना देना कुछ भी रहा नहीं है ।

योग 2250-00

विवरण:- ग्राम भिचौली हप्सी तहसील व जिला इन्दौर, पटवारी हल्का नं० 25, यहां पर स्थित सर्व सम्पन्न नगर कालोनी का प्लाट नं० 351 साईज 30 फीट बाय 50 फीट, विक्रय किया है ।

भूखण्ड का यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण अपनी स्वेच्छा से आप क्रेता के पक्ष में तथा हित में निष्पादित कर पंजीयत करा देते है कि:-

सन्तोष गायके
(सन्तोष गायके)
स्वयं तथा आम मुख्त्यार
सरस्वतीबाई गायके

उप पंजीयक
इन्दौर

यह कि हम विक्रेतागणों के मालकी व कब्जे की कालोनी जो कि ग्राम भिचोली हप्सी तहसील इन्दौर यहाँ पर स्थित होकर इसका नाम सर्व सम्पन्न नगर दिया गया है । सदर कालोनी सर्वे नं० 1:7 व 1:1:2 की भूमि पर बना होकर इस पर कालोनी निर्माण हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर ने दिनांक 19-10-83 को विधिवत डायवर्शन आदेश पारित किया होकर प्र०क्र० 173:अ-2: 78-79 के अनुसार इस पर आवास की आज्ञा प्राप्त है । इसके पश्चात म०प्र० शासन के राजस्व विभाग के पत्र क्र० 28:19:सात-83(9) दिनांक 22 सितम्बर 1983 के अनुसार यह कालोनी के प्लाटस विक्रय करने के अधिकार प्राप्त है । तदनुसार आप क्रेता को उक्त कालोनी का प्लाट नं० 351 विक्रय किया है, जिसकी लम्बाई व चौड़ाई निम्नानुसार है:-

लम्बाई:- पूर्व पश्चिम 50 फीट

चौड़ाई:- उत्तर दक्षिण 30 फीट

क्षेत्रफल:- 1500 वर्गफीट

उपरोक्त वर्णित लम्बाई व चौड़ाई का यह भूखण्ड हम विक्रेतागणों ने आप क्रेता को अपने स्वत्व एवं अधिकार सहित विक्रय किया है, जिसकी चतु:सीमा निम्नानुसार है:-

उत्तर में- बैक लेन

दक्षिण में- सड़क

पूर्व में- प्लाट नं० 350

पश्चिम में- प्लाट नं० 452

उपरोक्त वर्णित चतु:सीमा के मध्य का तथा वर्णित का यह भूखण्ड हम विक्रेतागणों ने आप क्रेता को विक्रय किया है, तथा प्रतिफल की पूरी धनराशि रुपये 2250-00 बाईस सौ पचास मात्र नगदी प्राप्त कर ली है, अब प्रतिफल का लेना देना कुछ भी बाकी नहीं है ।

संतोष गावडे
(संतोष गावडे)
स्वयं तथा आम मुख्त्यार तरफे
सरस्वतीबाई गावडे

उप पंजीयक
[illegible]-इन्दौर

यह कि विक्रीत भूखण्ड का कब्जा हम विक्रेतागणों ने आप क्रेता को मौके पर से खाली करके दे दिया है, तथा आपने इस पर आपका कब्जा कर लिया है, अब आपने इसका उपयोग व उपभोग आपकी इच्छानुसार करना।

यह कि विक्रीत भूखण्ड पर जो भी स्वत्व एवं अधिकार हम विक्रेतागणों को व हमारे उत्तराधिकारीगणों आदि को प्राप्त थे, वह सब इस लेख के द्वारा आप क्रेता को प्राप्त होकर आपसे वंचित हो चुके है।

यह कि विक्रीत भूखण्ड पर विक्रय से पूर्व हम विक्रेतागणों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, यह दान, विक्री, गिरवी तथा अधिग्रहण आदि [illegible] से नहीं है और ना ही इस पर शासन का, बैंक का या साहूकार किसी प्रकार का कोई ऋण भार ही है। यह [illegible] आपको विक्रय किया गया है।

यह कि विक्रीत भूखण्ड पर आप क्रेता ने आपका नाम तहसील व [illegible] कार्यालयों में अंकित करा लेना, इसमें हम आपको सहयोग करेंगे।

यह कि विक्रीत भूखण्ड का जो भी कर आदि देना बाकी होगा वह सब आज तक का हम देंगे व आगे आप क्रेता देंगे। भूखण्ड का डायवर्जन टैक्स आप क्रेता ही भुगतान करेंगे।

विक्रेता ने क्रेता को यह भूखण्ड म०प्र० शासन की अनुमति से उचित दाम पाने रूपये 1-50 प्रतिवर्गफुट की दर से विक्रय किया है, साथ ही म०प्र० शासन के द्वारा प्लाट विक्रय करने की अनुमति प्राप्त है। यह दोनों आदेश की प्रतिलिपियां पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है।

सन्तोष गावड
(सन्तोष गावडे)
स्वयं तथा आम मुख्त्यार
सरस्वतीबाई गावडे

यह कि विक्रीत भूखण्ड से संबंधित समस्त दस्तावेज व कागजातादि हमनेआप क्रेता को दिया दिये है । यह कि कालोनाईजर तथा शासन आदि के द्वारा जो भी नियम आदि बनाये जावेंगे उनका पालन आप क्रेता करेंगे ।

10

यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागणों ने स्वेच्छा से आप क्रेता के पक्ष में तथा हित में निष्पादित कर दिया है, तथा इस लेख को पढ़कर, सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये, ताकि प्रमाण रहे । इति
दिनांक 18 अक्टोबर 1985 इन्दौर

साक्षीगण :-

विक्रेता गण

1.

पता

संतोष गावडे
(सन्तोष गावडे)
स्वयं तथा आम मुख्त्यार
सरस्वतीबाइ गावडे

2.

पता

यह प्रारूप उभयपक्षों के द्वारा प्रदत्त माहिती से मैंने तैयार किया व टंकित किया ।

(किशोरलाल एम0 गुजराती)
दस्तावेज लेखक, इन्दौर म0प्र0

सत्य-प्रतिलिपि

उप पंजीयक
इन्दौर

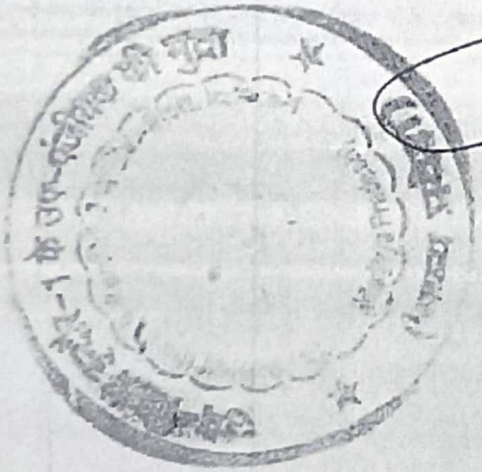

... के उप-पंजीयक की मुद्रा

Seal

...वेदन प्राप्त होने का दि... 26 JUN

...तिलिपि शुल्क ... दि...............

...तिलिपि तै... ....

...तिलि... 26 ...

...तिलि...

प्रमा...

पाया ...

उप-पंजीयक

प्रतिलिपि कर्ता ____________

जांचकर्ता ____________